अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2017 अनवानी श्री किशनलाल पुत्र श्री बद्रीप्रसाद "हिन्दूराष्ट्र" वार्ड सं0 8, श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री किशन लाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री किशन लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1– क्या नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त है कि श्रीमान निदेशक महोदय स्थानीय निकाय विभाग के स्थानान्तरण करने के बावजूद किसी कर्मचारी को कार्य ग्रहण न करवाकर उसे उपस्थिति डी.एल.बी. में देने के निर्देश प्रदान करे/करवाये? यदि हां तो उक्त नियमो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

2– श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा श्री अमृतलाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक की पत्रावली पर कार्य असंतोषजनक की टिप्पणी किन अधिकारों के तहत की गई? प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

3– नगरपालिका के पत्रांक 3189/दिनांक 25.01.2017 द्वारा विगत 16 वर्षो में श्री अमृतलाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक को न कोई नोटिस जारी किया गया और न ही उनके विरूद्ध कोई जांच लंबित थी न ही कोई गबन प्रकरण था और न ही उन्हें उक्त अवधि में कभी भी निलम्बित किया गया तो उपरोक्त टिप्पणी करने का आधार क्या रहा? प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

4– श्री अमृतलाल शर्मा की पत्रावली पर उक्त टिप्पणी किसी सलाहकार/द्वेष भावना/ राजनैतिक प्रेरणा से थी? स्थिति स्पष्ट करें।

5– श्री अमृतलाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक श्रीविजयनगर के उक्त प्रकरण में स्वायत शासन विभाग द्वारा श्रीविजयनगर नगरपालिका के लिए नियुक्त विधि सलाहकार की राय ली गई? यदि हां तो कितनी बार? राय की प्रमाणित प्रतिलिपि और यदि नही तो क्यों?

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने अपने प्रतिवेदन संख्या 1878 दिनांक 24.04.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 08.03.17 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण उस आवेदन पत्र पत्र सं0 903 दिनांक 08.03.17 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को भिजवा दिया गया था और अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा पत्र सं0 20 दिनांक 10.04.2017 के द्वारा सूचना प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर के कार्यालय से है। पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के पत्र सं0 903 दिनांक 08.03.17 के अनुसार उप,ाण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को भिजवाया जाकर नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया है एवं अपीलार्थी को भी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर के कार्यालय में सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है।

शा०प्र०
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर के कार्यालय से है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 08.03.17 को ही भिजवा दिया था। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा अपने पत्र सं0 20 दिनांक 10.04.17 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। यदि अपीलार्थी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से सन्तुष्ट नही है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए। अपीलार्थी की अपील इस न्यायालय में पोषणीय नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1000-1001
12/5/17

आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना राम

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर